न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
7/प्रा0पत्र/2020	15.01.2020	4.03.2020

मोहन आ0 स्वं0 श्री रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. सुरजमल बंसल आ0 नामालूम प्रतिनिधि (सिलिका कम्पनी) निवासी धनेश्वर तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. रामा आ0 स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. छोटू आ0 स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. हुकमा आ0 स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. केल्या आ0 स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. शम्भू आ0 स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. भोंली पुत्री स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. संतोष पुत्री स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
9. धापू बाई पुत्री स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
10. पुष्पा बाई पत्नी स्वं0 रूपा जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0
11. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा एवं जिला बूंन्दी (राज0

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः- श्री नन्द सिंह सोंलकी
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः- श्री बृजमोहन गोत्तम

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः-

1. यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है।
2. यह कि कृषि भूमि ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा ख0सं0 638 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में स्थित है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं0 2 लगा0 10 की संयुक्त रूप से कब्जे काश्त एवं गैर खातेदारी अधिकार की भूमि थीं, जिसे कलेक्टर महोदय, बून्दी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 लगा0 10 को सुने बगैर सिवाईचक दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 लगा0 10 का संयुक्त रूप से आज भी चला आ रहा है। जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी के आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी महोदय, कोटा के न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय होना अभी शेष है।
4. यह कि अप्रार्थी सं0 1 का वाद वर्णित कृषि भूमि कब्जा नहीं रहा है, किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 वाद वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहा है तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है तथा आज दिनांक 10.01.2020 को वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से मना करने पर प्रतिवादी सं0 1 ने वादी को उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी लगाई।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थी सं0 1 वाद वर्णित कृषि भूमि पर किसी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्रकार का निर्माण कार्य नही करे जबरन कब्जा नही करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना अन्य से करावे।

6. यह कि अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 प्रार्थी के साथ वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही आने के कारणा उक्त वाद मे प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि वाद प्रस्तुति का वाद कारण दिनांक 10.01.2020 को प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं0 1 ने वाद वर्णित भूमि पर जबरन बेदखल करने की धममकी वादी को लगाई एवं जबरन अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी लगाई जब से वाद प्रस्तुती का वाद कारण जारी हुआ जो निरन्तर जारी है।

8. यह कि प्रथमम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीयक्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मेमं प्रमाणित है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी सं0 1 को ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं0 1 कृषि भूमि ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा ख0सं0 638 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में स्थित है, पर जबरन कब्जा नही करे, जबरन कब्जा नही करे, जबरन अवैध निर्माण कार्य नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे, ना हीं अन्य से करावे।
अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को दिलवाये जान की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी सं 2 लगा0 11 की और से कोई जवाब दावा पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया ही खारीज होने योग्य है। च0सं0 2 मे वर्णित तथ्य भूमि होना स्वीकार है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में वर्तमान में सिवायचक भूमि दर्ज है। भूमि नामान्तकरण ससं0 719 दिनांक 26.6.2018 से ख0नं0 223/1055 रकबा 12 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज शुद्धा है। इस कारण उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। भूमि पर सिलिका कम्पनी का कब्जा एवं उक्त भूमि रजिस्टर्ड फर्म मैसर्स कन्हैयालाल, रामेश्वरदास धनेश्वर तहसील तालेडा, रजिस्टर्ड फर्म के नाम एक खनन पट्टा एम.एल.नं.-47/1994 खनिज सेंड स्टोन क्षेत्रफल 618.34 हे0 निकट ग्राम धनेश्वर अवधीं पंचम नवीनकरण सं0 14/9/1994 से 13.09.2014 तक 30 वर्षो के लिये धारित है, जिसमें सालाना डेडरेन्ट राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 2017 के अनुसासर दिनांक 1.03.2017 से प्रति हे0 70,000/- रूपये यानि वार्षिक 3,43,38,568/-रू. डेडरेन्ट पर स्वीकृत शुद्धा है। उक्त भूमि उक्त खनन क्षेत्र का भाग है। च0सं0 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह से लिखे है अस्वीकार है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण या उसके पिता का कब्जा नहीं रहा है। भूमि पर खनन पट्टा एम.एल.नं. 47/1994 स्वीकृत शुद्धा है। उक्त खनन पट्टा प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1952 में दामोदर दास खण्डेलवाल जयपुर के पक्ष में स्वीकृत एवं पंजीकृत हुआ तत्पश्चात खनन पट्टा का नवीनीकरण दुबारा खनन 5 वर्ष की अवधि के लिये सन् 1959-94 की अवधी के लिये नवीनीकृत किया वर्तमान मेम 1994-2024 तक के लिये स्वीकृत वैध एवं प्रभावी है, जिस पर अप्रार्थी सं0 1 धारित होकर खनन कार्य किया जा रहा है। ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा भूमिम पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 10 का कब्जा नही होने से नियमानुसार भूमिधारी तहसीलदार द्वारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की गई, जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय, के निर्णय दिनांक 17.04.2018 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज शुद्धा है, जिस पर नियमानुसार रिपोर्ट पटवारी ली गई, जिस पर भी स्पष्ट रूप से अंकन है कि उक्त भूमि पर सूरजमल बंसल सिलिका कम्पनी का कब्जा है, मकान बने हुये है एवं भूमि पर गैर खातेदारों का कब्जा नही है। चूंमि उक्त भूमि कृषि कार्य के लिये आवंटन होना बताया जिस पर कब्जा नहीं होने से आंवटन अवैध एवं गैर कानूनी है जिससे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं आवंटन से वर्तमान समय तक गिरदावरी से स्पष्ट प्रमाणित है कि भूमि पर कभी भी कोई फसल पैदा नही हुई अर्थात भौतिक रूप से कब्जा आंवटी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

हा नही रहा है। इस कारण आवंटन शर्तो की पालना नही होने से आंवटन नियमानुसार निरस्त किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। च0सं0 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है भूमि सिलिका कम्पनी के बीच में है, जिस पर कमरे बने हुये है। उक्त भूमि के संबंध में सिलिका कम्पनी द्वारा एक वाद बउनवान मेसर्स कन्हैयालाल बनाम रामा वगैरा जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी 2 लगा0 10 के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी दिनांक 19.07.2017 को सिविल न्यायालय तालेडा द्वारा जारी किया हुआ है जिस पर उक्त क्षेत्र के संबंध में अतिक्रमण नही करने बाबत् पाबन्द फरमाया हुआ है। इस कारण उक्त वाद पश्चातवर्ती है, जो खारिज होने योग्य है। च0सं0 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 का भूमि पर कब्जा नही है। वर्तमान में सिवायचक है। अर्थात खातेदारी की भूमि नही है। प्रार्थी ने उक्त वाद घोषणा का नही किया है, बिना घोषणा करवाये उक्त वाद पोषनीय नही है। खारीज होने योग्य है। च0सं0 6 अस्वीकार है। च0सं0 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। पूर्व से ही भूमि पर मकानात बने हुये है शेष भूमि पर सिलिका कम्पनी के मुक्सर पत्थर आदि बड़े हुये है। भूमि पड़त है। सिलिका कम्पनी का कब्जा है। कोई वाद कारण पैदा नही होता है खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, न तो उक्त भूमि खातेदारी की है न ही कभी कब्जा रहा है, न ही आवंटन शर्तो की पालना हुई है। कृषि भूमि योग्य नही है। बल्कि अप्रार्थी सं0 1 राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रूपये से ज्यादा डेडरेन्ट राजस्व के रूप में देता है एवं राज्य सरकार द्वारा भी सभी जिला कलेक्ट्रो को वर्ष 1971 यह निर्देशित किया गया है कि जो भूमि माईनिंग की भूमि है उस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नही किया जावे इस कारण उक्त आवंटन राज्य सरकार के नियमों के विरूद्ध है एवं खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर की भूमि होने से जहाँ पर खनन पट्टे का निरस्त करवाया जावे, वहाँ पर खनन पट्टाधारी अप्रार्थी सं0 1 को उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, एवं उक्त भूमि सर्वप्रथम खनन पट्टाधारी अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन हुई है। जब भूमि खनन पट्टा के लिये आवंटन हुई उसके बाद किस तरह खनिज विभाग द्वारा एर्गीमेन्ट कर खनन पट्टाधारी को एर्गीमेन्ट का पंजीयन कर भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं0 1 को दिया फिर किस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 के कब्जा लिये बिना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 को पश्चातवर्ती आवंटन किया। उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है, एवं आवंटन के पश्चात से भी आवंटी का कब्जा नही रहा है। इस कारण भूमिधारी तहसीलदार तालेडा द्वारा आंवटन निरस्त करने की कार्यवाही की गई जिसे स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्ट्रर महोदय द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। इसस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में होने से खारिज होने योग्य है। च0सं0 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। उक्त भूमि खातेदारी की भूमि नही है। सिवायचक भूमि के संबंध में उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय न्यायालय को नही होकर दीवानी न्यायालय को है। इस कारण खारीज होने योग्य है। च0सं0 10 में अंकित तथ्य कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी ग्राम धनेश्वर संवत् 2071 की प्रति पेश की।

साक्ष्य में अप्रार्थी की और से नकल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा स्थगन आदेश दिनांक 6.9.2017, खसरा खनन क्षेत्र दिनांक 13.06.2017, फर्म की पार्टनरशीफ डीड दिनांक 11.03.2017, मुक्तारनामा खास, राज्य सरकार का आदेश दिनांक 02.07.1971, नकल जमाबन्दी खाता सं0 233 ग्राम धनेश्वर संवत् 2071–74, आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम धनेश्वर, न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी का निर्णय दिनांक 17.04.2018, फर्म एर्गीमेन्ट दिनांक 02.11.1953 की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह प्रकट होता है कि ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा भूमि वर्तमान में सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। एम.एल.सं0 47/94 जिसका क्षेत्रफल 618.34 हे0 की लीज राजस्थान सरकार द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में जारी की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 14.09.1994 से 13.09.2024 तक की है। एम.एल. सं0 47/94 की लीज खनन उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1952 से ही स्वीकृत की गई, जिसकी समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधि बढ़ाई गई है। प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि खनन पट्टा सं0 47/94 जिसका क्षेत्रफल 618.34 हेक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

तथा जो ग्राम धनेश्वर में स्थित है, अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा है। विवादित भूमि ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा एवं ख0सं0 638 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मे से भूमि ख0सं0 223/1055 रकबा 12 बीघा वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किस प्रकार उनके किस भू-भाग पर कब्जा कर प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति पहुंचायी गई है। प्रथम दृष्टया स्पष्टरूप से प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

4/3/2020

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
तालेड़ा जिला बूंदी(राज0)

Scanned with CamScanner